अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

क्रमांक/प्रशासन/कार्य परिषद/2022/204 रीवा, दिनांक 25-04-22

कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 को प्रातः 11.30 बजे प्रो. बी.आर.बी. माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1.	डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर शुभा तिवारी	सदस्य
3.	डॉ. अंजू सिंह	सदस्य
4.	डॉ. ऊषा नीलम	सदस्य
5.	डॉ. सी.बी. सौंदिया	सदस्य
6.	डॉ. पंकज श्रीवास्तव	सदस्य
7.	श्री राम कुमार प्रजापति	सदस्य
8.	डॉ. के.के. त्रिपाठी	सदस्य
9.	श्रीमती सरोज गूजर	सदस्य
10.	श्रीमती संचिता सर्वटे	सदस्य
11.	श्री अजय मिश्रा	सदस्य
12.	श्री प्रकाश त्रिवेदी	सदस्य
13.	श्री दीपक कुमार सोनी	सदस्य
14.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी माननीय कार्य परिषद सदस्यों का स्वागत, वन्दन एवं अभिनन्दन किया । माननीय कुलपति जी व्दारा नव नियुक्त कार्य परिषद सदस्य श्री दीपक सोनी एवं प्रोफेसर शुभा तिवारी जी का प्रथम बैठक आगमन पर बुके व्दारा स्वागत किया गया । तदुपरान्त कुलसचिव जी व्दारा बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुमति से प्रारंभ की गई ।

1. **कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक 08.03.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना ।**

निर्णय –कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 8.3.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. **कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 08.3.2022 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

निर्णय –पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठकों में परिनियम 27,28,से सम्बन्धित लिये गये निर्णय बैठक दिनांक 28.10.2021, 31.12.2021, 15.02.2022, 09.03.2022, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

4. विश्वविद्यालय की अगामी परीक्षाओं हेतु पूरक/सेशनल/प्रायोगिक की कुल 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट से रूपये 22,68,000,00 (बाइस लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट से रूपये 22,68,000/– (बाईस लाख अड़सठ हजार) मात्र की नियमानुसार पशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

5. विश्वविद्यालयीन वाहनों के मरम्मती एवं रख रखाव हेतु वित्तीय सीमा/अधिकार राशि 30000/–(तीस हजार रूपये) के स्थान पर 50,000/–(पच्चास हजार रूपये) बढ़ाये जाने वावत्। रीवा जिला, सतना जिला, सीधी जिला, सिंगरौली जिला, शहडोल जिला, उमरिया जिला, अनूपपुर जिला एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु– अन्य प्रदेशों में भी वाहन को भेजा जाता है। रूपये–30,000/– में जिसमें गोपनीय/परीक्षा पूर्ण कराना सम्भव प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रतिवाहन 30,000/– के स्थान पर रूपये–50,000/– किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – वित्तीय सीमा अधिकार राशि में विश्वविद्यालयीन वाहनों के मरम्मतीकरण एवं रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रतिवाहन के लिये रूपये 50000/–(पचास हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

6. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 के निर्णय अनुसार छात्र अपूर्व सक्सेना पिता श्री अजय कुमार सक्सेना एल.एल.एम.. परीक्षा प्रथम (द्वितीय टर्म) की छात्र हित में अंकसूची प्रदाय के सम्बन्ध में।

1. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) परीक्षा दिसम्बर 2019 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र सम्मिलित किया विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को अनुकमांक 1916400032 आवंटित किया गया किन्तु छात्र परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ, परीक्षाफल अनुपस्थित रहा।
2. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) परीक्षा जून 2020 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र सम्मिलित कर परीक्षा में सम्मिलित हो गया किन्तु परीक्षाफल अपूर्ण रहा। (W)
3. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) परीक्षा दिसम्बर 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षा में पहले, एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) की परीक्षा में बाद में सम्मिलित होने के कारण एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षाफल जारी नही किया गया है। अध्यादेश क. 22 के Section (6) में एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षा में सम्मिलित होना प्रावधानित है किन्तु अनुपस्थित का नही है। (Ordinance संलग्न)

urmila kol

निर्णय–विशेष परिस्थिति में अंकसूची प्रदानकरने की अनुमति प्रदान की गई । छात्र अपूर्व सक्सेना का LLM I(II Term) परीक्षा जून 2020 एवं LLM I(I Term) दिसम्बर परीक्षा 2020 को मान्य कर LLM I(II Term) का परीक्षाफल घोषित कर अंकसूची जारी की जाय, तथा भविष्य में उदाहरण नहीं माना जाय।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

विश्वविद्यालय द्वारा जारी शिक्षकों के विज्ञापन कमांक/कार्मिक/2022/298 दिनांक 1 अप्रैल 2022 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –विश्वविद्यालय व्दारा जारी शिक्षकों के विज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2022 की सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

सत्र 2021–2022 के लिए अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क में लगाये जाने वाले अधिमार के संबंध की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

थाना भवन के लिये जमीन उपलब्धता हेतु गठित समिति का निर्णय तथा तद्नुसार विधिकराय विचारार्थ।

निर्णय – थाना भवन के लिये जमीन उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु भविष्य में अतिरिक्त जमीन की स्वीकृति प्रदान न की जाय । थाना हेतु आबंटित जमीन में निर्धारित सीमा रेखा में बाउण्ड्री बाल का निर्माण करें ।

कार्यवाही – विद्युत विभाग

म.प्र.शासन उच्चशिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक 48/27/2022/38–3 भोपाल दिनांक 13.01.2022 छात्रों के उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

म.प्र. के अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों की भांति,सातवें वेतनमान के आधार पर दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों /शिक्षकों/ अधिकारियों को उपादान (ग्रेच्युटी) अधिकतम रूपये 20 लाख मात्र का भुगतान किया जाना मान्य करना। विचारार्थ।

निर्णय – अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में अधिकतम 20 लाख रूपये उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

12. श्रीमती प्रमिला मिश्र, से.नि. कार्य सहायक सेवा के दौरान आस्वथता के कारण दिनांक 03.03.2021 से 01.06.2021 तक कुल 91 दिवस का लघुकृत अवकाश की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

निर्णय – 91 दिवस का लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

13. पूर्व माध्यमिक विद्यालय विश्वविद्यालय परिसर में पदस्थ शिक्षकों के समयमान वेतनमान पर विचार करना।

1. श्री आनन्द बहादुर सिंह सहायक शिक्षक 2. श्री रामनरेश दुबे सहायक शिक्षक
3. श्री उमाकांत मिश्र, सहायक शिक्षक 4. श्री गोपालदास तिवारी सहायक शिक्षक
5. श्री रविकान्त रावत, सहायक शिक्षक को पात्रता तिथि से समयमान वेतनमान प्रदाय कये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों को समयमान वेतनमान नियमानुसार प्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन को पुनर्विचार एवं शिक्षक हितों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

14. समस्त सम्बद्व शास0/अशास0 महाविद्यालयों की सम्बद्वता आवेदन/सम्बद्वता शुल्क की राशि सत्र 2022–2023 से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु विचारार्थ।

निर्णय – प्रस्ताव मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

15. राजभवन के अपर सचिव के पत्र कमांक/1254/रा.स./यू.ए.–3/2021 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 पर विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय – राजभवन के पत्र कमांक/1254/रा.स./यू.ए.–3/2021 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण करवाया जाय । इसके लिये वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक समिति बनाकर तत्संबंधी अनुशंसा आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें । समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

16. राजभवन भोपाल के पत्र कमांक/113/रा.स./यू.ए.–3/2022 दिनांक 19 जनवरी 2022 के संबंध में विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय –राजभवन के पत्र कमांक/113/रा.स./यू.ए.–3/2022 दिनांक 19 जनवरी 2022 पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय व्दारा प्रेषित पत्र दिनांक 29 अगस्त 2020 के प्रकाश में निर्णय लिया गया कि डॉ. रहस्यमणि मिश्र की व्याख्याता पद पर कार्यालयीन त्रुटिवश जारी अग्रिम आदेश तक नियुक्ति संबंधी आदेश कमांक/कार्मिक/3583–89 दिनांक 01.05.1984 को निरस्त मानते हुये "अग्रिम आदेश तक नियुक्त किया जाता है, के स्थान पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.05.1984 के निर्णय के अनुकम में नियमित रूप से परिवीक्षावधि पर नियुक्त् किया जाता है", को मान्य किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

Sharmila kol

17. राजभवन भोपाल के पत्र कमांक/340/रा.स./यू.ए.–3/22 दिनांक 9 मार्च 2022 के संबंध में विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय – राजभवन के पत्र कमांक/340/रा.स./यू.ए.–3/22 दिनांक 9 मार्च 2022 पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित आचार्य अपना न्यायालयीन प्रकरण वापिस लेते हैं एवं शासन के नियमानुसार वरिष्ठता का लाभ लेने के लिये सहमति प्रदान करते हैं तो उनको नियमानुसार इसका लाभ दे दिया जाय । इस शर्त के आधार पर प्रकरण मान्य किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

18. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ–51/2013/1/ 3 भोपाल दिनांक 7.10.2016 द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मी में विनियोजित करने सम्बन्धी गठित समिति की बैठक दिनांक 7.3.2022 की अनुशंसा को अनुमोदित करने पर विचार करना।

निर्णय–समिति की अनुशंसा मान्य की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

पूरक कार्यसूची

1. महगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 11 प्रतिशत की माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4)के अन्तर्गत भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. चिकित्सा देयक के संबंध में श्री व्यासमुनि मिश्र, बस परिचालक को कैंसर हेतु आदेश कमांक/कार्मिक/2021/547 दिनांक 19.7.2021 को रूपये 3.04.080/– की अग्रिम प्रदाय किया गया था। के विरूद्व कुल व्यय रूपये 3.15.340/– समायोजन हेतु विचारार्थ।

निर्णय–श्री व्यासमुनि मिश्रा, बस परिचालक को कैंसर के ईलाज हेतु विश्वविद्यालय व्दारा प्रदाय अग्रिम रूपये 3,04,080/– के विरूध्द व्यय राशि रूपये 3,15,340/– समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

3. श्री विद्याधर पाण्डेय कार्य सहायक राज्य के बाहर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति रू. 67144 (सरसठ हजार एक सौ चौवालीस रूपये मात्र) की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

निर्णय – नियमानुसार रूपये 67144/– की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

RFRF द्वारा नैक संबंधी कार्य हेतु व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बावत्।

प्रस्ताव–(A) RFRF द्वारा नैक को AQAR Submission हेतु अकादमिक एवं प्रशासनिक
सहयोग बावत कोटेशन मान्य किया जाकर रूपये 3.00.000=00 (तीन लाख) का अग्रिम
भुगतान किया गया RFRF के सहयोग से AQAR गत पांच वर्षो का नैक को प्रस्तुत किया
जा चुका है। अतः "A" कार्य संपादन उपरांत सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।
(B) RFRF के द्वितीय प्रस्ताव में SSR Submission तथा संबंधित कार्यवाही हेतु रूपये दो
लाख अग्रिम एवं एक लाख SSR Submission के पश्चात् तथा रूपये एक लाख Post
Submission Queries for NAAC निराकरण हेतु का कोटेशन द्वारा कुल रूपये 4.00.
1 000=00 (चार लाख) की मांग की गई है। अतः "B" प्रस्ताव हेतु कुल रूपये 4.00.
000=00 (चार लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति करने पर विचार करना।

निर्णय– आर.एफ.आर.एम. व्दारा नैक संबंधी कार्यवाही हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – नैक मूल्यांन विभाग

5. विद्यापरिषद की स्थायी समितियों की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.04.2021 से 12.04.2022 से 05.04.2022 तक एवं पी.एच.डी. अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2022 तक को कार्य परिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय –अनुमोदित ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

6. विश्वविद्यालय सीमा पर वाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु बजट प्रावधान वावत् विचारार्थ।

निर्णय –विश्वविद्यालय सीमा पर बाउण्ड्री बॉल के निर्माण हेतु रूपये 50.00 लाख का प्रावधान मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

7. विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों की सुरक्षा के संवंध में, विश्वविद्यालय सुरक्षा हेतु ई निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के अनुमोदन परान्त विभिन्न प्वांइट पर सुरक्षा प्रहरियों की आवश्यकतानुसार कुल 36 सुरक्षा प्रहरियों से जारी कार्य आदेश के माध्यम से कार्यो का संपादन तीनो पाली में कराया जा रहा है। जिसमें 12–12 की संख्या में तीनो पालियों में सुरक्षा कर्मी लगाये गये है, जिसकी संक्षम स्वीकृति एवं कार्य अनुमति अनुमोदन हेतु विचरार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

8. विश्वविद्यालय परिसर के कुल 36 भवनों की साफ सफाई व्यवस्था के संवंध में,

उपरोक्त विषर्यान्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर स्थिति विभिन्न शैक्षणिक/अशैक्षणिक भवनो की साफ सफाई हेतु प्राप्त ई निविदाओं के माध्यम से प्राप्त अनुमोदित दरो के अनुसार कार्य आदेश के माध्यम से कुल 16 सफाई श्रमिकों एवं दो कुशल श्रमिकों सहित कुल 19 अनुबंधित सफाई कर्मियो (कुशल/अकुशल) से टीप संक्षम स्वीकृति एवं कार्य परिषद से अनुमोदन हेतु विचारार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

Sharmila koi

9. विश्वविद्यालय में ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर (कुशल दरों पर) रखे जाने हेतु आउट सोर्स के माध्यम से कार्यालयीन आवश्यक कार्यों हेतु कम से कम 10 कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने पर विचार करना।

टीप– विश्वविद्यालय में लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण कर्मचारियों के अभाव में आवश्यक कार्यों के निष्पादन मे कठिनाई एवं दक्षता प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा में विश्वविद्यालय में ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर (कुशल दरों पर) रखे जाने हेतु आउट सोर्स के माध्यम से कार्यालयीन आवश्यक कार्यों हेतु कम से कम 10 कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने हेतु अनुमति/अनुमोदनार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

10. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/1234/2744/2019/38–3 दिनांक 11.10.2021 जो मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार जारी आदेश में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में कार्यरत 84 कर्मचारियों के प्रकरण को माननीय कार्यपरिषद द्वारा पुर्नविचार किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

निर्णय – चूंकि यह प्रकरण शासन स्तर पर नस्तीबध्द किया जा चुका है, परन्तु कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुये कार्य परिषद की ओर से प्रकरण की स्वीकृति के लिये पुनर्विचार किये जाने हेतु शासन को पुनः प्रकरण प्रेषित करें ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

11. प्रो.आर.बी.मिश्र, सेवा निवृत्त आचार्य, गणितीय विज्ञान विभाग के अनुपस्थित अवधि को गठित समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 850 दिवस का अवैतनिक अवकाश सम्बन्धी अनुशंसा को मान्य करने हेतु विचारार्थ।

निर्णय – विशेष परिस्थिति में 850 दिवस का अवैतनिक अवकाश नियमानुसार मान्य किया गया ।

12. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

1. विश्वविद्यालय में पदस्थ स्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति प्रतिमाह रूपये 2000/– (अंकन दो हजार) मात्र भुगतान पर विचार ।

निर्णय – इस संबंध में विकम विश्वविद्यालय, उज्जैन की कार्य परिषद व्दारा अपने कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 2000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में इस विश्वविद्यालय में पदस्थ स्थायी कर्मियों को प्रतिमाह रूपये 2000/– चिकित्सा भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. प्रोफेसर सी.डी. सिंह की अमरकण्टक विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जांच के संबंध में विचार करना ।

निर्णय – सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुलसचिव, अमरकण्टक विश्वविद्यालय व्दारा ई–मेल के जरिये यह सूचित किया गया है कि उनके यहां यह प्रकरण समाप्त किया जा चुका है । चूंकि यह प्रकरण प्रोफेसर सी.डी. सिंह के अमरकण्टक विश्वविद्यालय में कुलपति पद के कार्यकाल का है, तथा इस विश्वविद्यालय से उसका कोई संबंध नहीं है । अतः प्रकरण नस्तीबध्द किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

अंत में सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्मानीय सदस्यगण
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
8. अनुभाग अधिकारी प्रशासन
9. संबंधित नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

armila kol

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / प्रशासन / कार्यपरिषद् / 2018 / 39 रीवा, दिनांक 18-07-2018

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018 दिन–सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	– अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	– सदस्य
3.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	– सदस्य
4.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	– सदस्य
5.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	– सदस्य
6.	प्रो0 जगदीश प्रसाद सिंह	– सदस्य
7.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	– सदस्य
8.	श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	– सदस्य
9.	डॉ0 क्षितिज पुरोहित	– सदस्य
10.	श्री रवीन्द्र चौहान	– सदस्य
11.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	– सदस्य
12.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	– सदस्य
13.	श्री लाल साहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	– सदस्य / सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेषकर नव नियुक्त कार्य परिषद् सदस्य डॉ0 क्षितिज पुरोहित एवं श्री रवीन्द्र चौहान का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की, तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी माँग पर विचार करना।

निर्णयः– विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी प्रकरण पर सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा कार्यपरिषद् सदस्य डॉ0 एस0एस0 तिवारी के प्रस्ताव पर नियमित पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 विजय मिश्र तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 एस0पी0 सिंह को सदन में बुलाकर उनका पक्ष सुना गया। इसके बाद सदन की अनुमति से प्रोफेसर एन0पी0 पाठक, संचालक, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम तथा

वित्त नियंत्रक डॉ0 श्रीमती पुष्पा सोनवानी को आमंत्रित किया गया तथा प्रावधान एवं वित्त संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। तदुपरान्त सदन द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :–

अ– नियमित विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि का प्रकरण प्रवेश प्रक्रिया सत्र (सत्र 2018–19) समाप्ति के उपरान्त छात्र संख्या एवं आय/व्यय की गणना के साथ कार्यपरिषद की अगली बैठक में मानदेय के संबंध में विचार विमर्श हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।

ब– इस बीच राज्य के अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर भी कार्यपरिषद् में विचार किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक/वित्त/स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

2. कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि रुपये–62 लाख व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः– कौशल विकास योजनान्तर्गत सी0आई0आर0 द्वारा विश्वविद्यालय से अनुबंध किया गया है तथा इसके लिये रुपये 61.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी सूचना कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2018 में ग्रहण की जा चुकी है। तत्संबंध मे कलेक्टर, रीवा के माध्यम से विश्वविद्यालय को रुपये–20.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। अतः सर्वसम्मति से रुपये–20.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस केन्द्र में विश्वविद्यालय का भी प्रशासकीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय को इस केन्द्र का वास्तविक लाभ मिल सके।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित सभी माननीय अध्यक्ष/सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

ई

आदेशानुसार,
18.7.18
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / प्रशासन / कार्यपरिषद् / 2018 / 46 रीवा, दिनांक 07/08/2018

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 जून 2018

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 जून, 2018 दिन–शनिवार पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	–	सदस्य
3.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
4.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	प्रो0 जगदीश प्रसाद सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	–	सदस्य
8.	श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
9.	श्री गजेन्द्र दुबे	–	सदस्य
10.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	–	सदस्य
11.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
12.	श्री लाल साहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	–	सदस्य / सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेष रूप से संकायाध्यक्ष संवर्ग से नियुक्त कार्यपरिषद् सदस्य प्रोफेसर अतुल पाण्डेय, प्रोफेसर महेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस0पी0 सिंह एवं प्रोफेसर श्रीमती अर्चना गुप्ता का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय विकास में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की। सदन को जानकारी दी गई कि डॉ0 आनंद काम्बले की अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रभारी कुलसचिव के रूप में श्री लाल साहब सिंह बैठक में उपस्थित हैं। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 16 मार्च 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–अनुमोदित।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 16 मार्च 2018 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 24 फरवरी की पूरक कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 6 के (3) पर जानकारी दी गई कि श्रीमती शकुन्तला सिंह के पारिश्रमिक का भुगतान हो

चुका है तथा श्री विजय सिंह, श्री धर्मेन्द्र सक्सेना एवं श्री रामकुशल कोरी का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। अतः इस आशय का संशोधन मान्य करते हुये पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये पर विचार करना।

टीप– म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 को अधिसूचित म0प्र0 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 से राज्य शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है।

विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु हेतु म0प्र0 शासन के आदेश लागू होते हैं। समन्वय समिति के 93वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार परिनियम–31 के 3 (a) **The age of retirement of a University Officers and employees (Non-teaching) shall be at par with the State Govt. employees.** का उल्लेख है।

अतः उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित अधिवार्षिकी आयु संशोधन को यथावत् अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–प्रकरण पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 को अधिसूचित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश तथा म0प्र0 शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 तथा समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 में अनुमोदित परिनियम क्रमांक 31 के बिन्दु 3ए में उल्लिखित प्रावधान **(The age of retirement of a University Officers and employees (Non-teaching) shall be at par with the State Govt. employees)** अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त गैरशैक्षणिक कर्मचारियों (जिनकी सेवा निवृत्ति आयु पूर्व में 60 वर्ष थी) की सेवा निवृत्ति आयु मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के समान 62 वर्ष करने के प्रस्ताव को सिद्धांततः मान्य किया गया। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराते हुये उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

4. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4–2/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 16 मई 2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

5. कर्मचारी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 16.05.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार ऋण आवटन राशि में संशोधन की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही—कार्मिक विभाग

6. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08.05.2018 एवं 23.05.2018 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः—विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08.05.2018 एवं 23.05.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग/विकास विभाग

7. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच. डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 11.01.2018, 22.01.2018, 24.01.2018, 29.01.2018, 06.02.2018, 13.02.2018, 21.02.2018, 24.02.2018, 01.03.2018, 21.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 09.05.2018, 23.05.2018 एवं 14.05.2018 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः—सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

8. रसायनशास्त्र विभाग में एफटीआईआर (Model Alpha-T) Bruker Germany के क्रय करने की अनुमानित लागत लगभग—12,00,000/— होगा, जो विभागीय मद से क्रय किया जावेगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः—रसायनशास्त्र विभाग में एफटीआईआर (Model Alpha-T) Bruker Germany के क्रय करने हेतु रुपये—12,00,000/— (अंकन रुपये बारह लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। विभाग द्वारा नियमानुसार क्रय प्रक्रिया का पालन किया जाय।

कार्यवाही – रसायनशास्त्र विभाग

9. अपर संचालक (वित्त), कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 424/165त/आउशि/पेंशन/2018 भोपाल, दिनांक 17.04.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2014 से छठवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण एवं समयमान प्रकरणों के पेंशन एरियर्स राशि के भुगतान हेतु भागीदार विश्वविद्यालयों से वर्ष 2018 से प्रति विश्वविद्यालय 03 करोड़ के मान से स्वयं के स्त्रोतों से कारपस फण्ड में राशि जमा किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः—प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

10. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1018/434/2011/38—3 भोपाल, दिनांक 31.10.2014 के अनुक्रम में पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु कारपस फण्ड की चतुर्थ किस्त

रुपये—2 करोड माननीय कुलपति जी के अनुमोदन पश्चात् शासन को प्रेषित की गई है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः—सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

11. श्री इन्द्रभान गुप्ता, वरिष्ठ कार्य सहायक को स्वयं की बीमारी—सीएडी की जांच/उपचार के चिकित्सा देयक कार्या0 अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के पत्र पृ0 क्रमांक 538—39/रेफरल/एमसी/2018 रीवा, दिनांक 31.05.2018 के द्वारा रुपये—1,56,578/— (एक लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपये मात्र) परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है। भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः—सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि श्री इन्द्रभान गुप्ता, वरिष्ठ कार्य सहायक के द्वारा स्वयं की बीमारी का उपचार राज्य के बाहर कराने पर हुये व्यय की राशि रुपये 1,56,578/— के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु इस प्रकरण पर श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/538/39/रेफरल एमसी/2018 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

12. समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4,4सी, 4डी एवं परिनियम क्रमांक 1ए 27, 28, 36 तथा 38 का अनुमोदन किया गया है, को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः—समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4, 4सी, 4डी एवं परिनियम क्रमांक 1ए 27, 28, 36 तथा 38 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

13. समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 के विषय क्रमांक 23 में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-9492/2015, WP-9453/2015 तथा WP-8186/2017 एवं WP-8187/2017 द एज्यूकेशन सोसायटी विरुद्ध शासन। (अशासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय तथा अशासकीय विधि महाविद्यालय, प्रेम नगर, सतना) के संबंध में उक्त महाविद्यालयों का मान्यता समाप्ति का निर्णय बरकरार रखा गया है, की सूचना ग्रहण किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – विकास विभाग

14. विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 में बी0वॉक तथा एम0वॉक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेशों को सभी विश्वविद्यालयों के लिये मान्य किया गया है। अतः इस विश्वविद्यालय में इन दोना अध्यादेशों को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णयः–विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 में बी0वॉक तथा एम0वॉक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही –प्रशासन विभाग

15. दि कॉलेज ऑफ लॉ एण्ड लीगल एड. शहडोल को माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जिसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही –परीक्षा विभाग

16. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.06.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः– अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग/विकास विभाग

पूरक कार्यसूची :–

1. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच. डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 06.06.2018 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः– सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही –अकादमिक विभाग

2. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 18.06.2018 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग/विकास विभाग

3. जिलाध्यक्ष, रीवा द्वारा दैनिक वेतन एवं मस्टर श्रमिकों की बढ़ाई गयी दरों को विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/मस्टर श्रमिक कर्मचारियों को लागू किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः–मान्य।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

4. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2017, सेमेस्टर परीक्षाओं एवं स्वाध्यायी सेमेस्टर परीक्षा जून 2017 में विभिन्न विषयों में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को अध्यादेश क्रमांक–6 की कण्डिका–23 (एफ) एवं नवीन विनियम क्रमांक–20 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत दिये गये दण्ड की अधिसूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही –गोपनीय विभाग

5. अध्यक्ष/प्राचार्य बी0एन0पी0 मेमोरियल डिग्री कालेज, ग्राम–जोरी, गड्डी रोड जिला–रीवा को अस्थायी संबद्धता माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4)

के अंतर्गत महाविद्यालय को 2018–19 की अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है, जिसके अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही –विकास विभाग

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण –

1. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये –

अ– अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोचिंग सेल के कर्मचारी जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक/प्रशासनिक विभागों में कार्यरत हैं–श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री विजय सिंह एवं श्री रामकुशल कोरी द्वारा अद्यावधि किये गये कार्य का पारिश्रमिक (अकुशल श्रेणी मान्य कर) तत्काल भुगतान किया जाय। इन कर्मचारियों की विश्वविद्यालय में आवश्यकता का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया गया –

1.	प्रो0 जे0पी0 सिंह, कार्यपरिषद् सदस्य	–	संयोजक
2.	प्रो0 अतुल पाण्डेय, कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
3.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी, कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
4.	अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)	–	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

ब– मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी संबंधी आदेश शीघ्र प्रसारित किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

स– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से एरियर्स भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति/आदेश प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग/ वित्त विभाग

2– सदन में उपस्थित सभी कार्यपरिषद् सदस्यों ने डॉ0 पी0के0 राय के कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत पदोन्नति होने के फलस्वरूप अद्यावधि वेतन निर्धारण न होने का प्रकरण उठाया तथा अद्यावधि भुगतान न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की। इस प्रकरण को शीघ्र ही निराकृत कराने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। डॉ0 पी0के0 राय को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् द्वारा मान्य किया जाकर पदोन्नत किया गया है। अतः प्रकरण पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को लिखा जाय, जिसकी वजह से एक वर्ष का विलम्ब हुआ। अगली कार्यपरिषद् की बैठक में की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

3-- डॉ0 अर्चना गुप्ता, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा श्री मोलई प्रसाद यादव, भृत्य का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का विधिवत् परीक्षण करने हेतु बिन्दु क्रमांक–1 (अ) में गठित समिति मान्य की गई। समिति का प्रतिवेदन अगली कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

4. कौशल विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा C.I.I. से हुये अनुबंध की सूचना ग्रहण करना।

टीप– राज्य सरकार के द्वारा जिलाधिकारी, रीवा के सहयोग से प्रस्तावित कौशल विकास के लिए C.I.I. तथा विश्वविद्यालय के बीच एक अनुबंध किया गया है, जिसके द्वारा 3500 युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी C.I.I. को दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए शासन द्वारा 61 लाख रुपया विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका उपयोग इस कार्यक्रम के लिए किया जायेगा। इसके लिये कलेक्टर, रीवा के माध्यम से 20 लाख रूपये विश्वविद्यालय को प्राप्त भी हो चुका है।

निर्णयः–कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा हुये अनुबंध की सूचना ग्रहण की गई तथा इस अनुबंध हेतु सदन ने माननीय कुलपति जी को बधाई दी।

कार्यवाही – भण्डार विभाग / C.I.I. प्रकोष्ठ

5. E.P.F. सलाहकार, श्री गुलाबराज त्रिपाठी का मानदेय भुगतान के संबंध में विचार का निर्णय लेना।

टीप– श्री गुलाबराज त्रिपाठी, E.P.F. सलाहकार से माह नवम्बर 2015 से E.P.F. प्रकरणों में सलाहकार के रूप में कार्य लिया जा रहा है साथ ही इनके द्वारा E.P.F. चालान प्रेषण संबंधी कार्य भी किया जाता है। इस हेतु श्री त्रिपाठी को प्रतिमाह रुपये 5000/– (पाँच हजार रुपये मात्र) मानदेय एवं रुपये 1500/– (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) प्रति पेशी E.P.F. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में उपस्थित होने हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 जनवरी 2017 की पूरक कार्यसूची के आयटम क्रमांक–04 में भुगतान हेतु मान0 कुलपति जी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है, किन्तु वर्ष 2015 से अभी तक श्री त्रिपाठी को मानदेय एवं पेशी में उपस्थित होने के क्लेम का भुगतान लंबित है। मान0 कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा प्रदान करने हेतु तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रो0 जे0पी0 सिंह–संयोजक, प्रो0 एन0पी0 पाठक एवं प्रो0 ए0पी0 मिश्रा सदस्य थे। समिति द्वारा अनुशंसायें पंजी में अंकित हैं, जो प्रस्तुत हैं।

अतः श्री त्रिपाठी को 2015 से अब तक कुल रुपये–1,60,000/– (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) मानदेय का भुगतान उपरोक्त कार्य हेतु किया जाना है।

निर्णयः–वित्त नियंत्रक के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि श्री गुलाव राज त्रिपाठी, ई0पी0एफ0 सलाहकार को कार्य के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाय।

कार्यवाही –वित्त विभाग

कार्यपरिषद् सदस्य एडवोकेट श्री गजेन्द्र दुबे एवं प्रोफेसर कमलेश मिश्र का कार्यकाल माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूर्ण हो रहा है। अतः माननीय कुलपति जी एवं कार्यपरिषद् के

अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा विश्वविद्यालय के विकास एवं उत्थान में दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया।

अंत में कुलसचिव ने माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया एवं बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2017/113

रीवा, दिनांक 12-10-2017

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2017 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 दिन–बुधवार पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र	–	सदस्य
3.	प्रोफेसर मृणाल श्रीवास्तव	–	सदस्य
4.	प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	–	सदस्य
6.	डॉ0 डी0आर0 महोविया,सं0संचा0, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
7.	श्री गजेन्द्र दुबे	–	सदस्य
8.	डॉ.विनोद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	–	सदस्य
9.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
10.	श्रीमती रेखा किशोरे	–	सदस्य
11.	डॉ0 आनंद कुमार काम्बले, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरान्त कुलसचिव जी से कार्यवाही प्रारम्भ करने का आग्रह किया–

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2017 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– अध्यक्ष की अनुमति से आयटम क्रमांक 05 में संशोधन उपरान्त पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

निर्णय– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु गठित अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा व निर्णय दिनांक 18.01.2017 एवं तद्नुसार कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक/2017/112 दिनांक 20.02.2017 द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है, की सूचना ग्रहण करते हुए राज्य शासन के आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के जो पदनाम शासनादेश में सम्मिलित नहीं हैं उनको शामिल करते हुए तत्सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

4. विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्य सहायकों को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति द्वितीय समयमान वेतन (वेतनमान 5500–9000) दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय–प्रकरण मंत्रालयीन वेतनमान से सम्बन्धित है अतः शासन से पत्र द्वारा मार्गदर्शन एवं स्वीकृति प्राप्त की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

5. अभ्यर्थी श्री कृष्णकान्त गौतम के आवेदन दिनांक 06.07.2017 के अनुसार एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के निर्णय पर विचार करना।

निर्णय–समिति के निर्णय को मान्य किया गया। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक/सी 13011/161/2012–बीईजी दिनांक 08 अगस्त 2017 पर विचार करना।

निर्णय–माननीय कुलपति जी द्वारा पत्र पटल पर प्रस्तुत किया गया। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में राजभवन से परामर्श प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही – कुलपति सचिवालय

7. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2017, 22.09.2017 एवं 10.10.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2017, 22.09.2017 एवं 10.10.2017 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकामिक विभाग

8. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2017 में लिये गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

14. श्री रामकृपाल वर्मा, सहा0 अधीक्षक के पत्नी के स्तन कैंसर बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक कार्या0 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग, रीवा(म0प्र0) के पत्र क्रमांक कार्योत्तर स्वीकृति/2017/5284 रीवा, दिनांक 15.09.2017 के द्वारा रुपये– 39,812/– (उन्तालीस हजार आठ सौ बारह रुपये मात्र) परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है। भुगतान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय– रुपये– 39,812/– मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण –

1. विश्वविद्यालय में चालकों (ड्राईवरों) की संविदा नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय– विश्वविद्यालय में वाहन चालकों (ड्राईवरों) के रिक्त पदों एवं वाहन चालकों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं गोपनीय शाखा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः कार्यपरिषद की अनुशंसा के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध चार संविदा वाहन चालक रखने की अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. प्री0 पीएच0डी0 कोर्स वर्क का शुल्क वापस किये जाने के संबंध में।

टीप– शोध संचालनालय के प्रस्ताव अनुसार विनियम में शुल्क वापसी संबंधी प्रस्ताव न होने की स्थिति में प्री0 पीएच0डी0 के कोर्स वर्क में सम्मिलित न होने पर राशि वापसी हेतु कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय–शुल्क वापसी के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया।

1. प्रो.जे.पी.सिंह, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, गणितीय विज्ञान विभाग — संयोजक
2. प्रो. ए.पी.मिश्र, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग — सदस्य
3. डॉ.विनोद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग — सदस्य
4. डॉ.पुष्पा सोनवानी, वित्त नियंत्रक — सदस्य

समिति का प्रतिवेदन कार्यपरिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – शोध संचालनालय